सम्पादकीय

LGBT और धारा 377 : बहुत से लोग LGBT को सितम्बर 2018 से पहले नहीं जानते थे। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह चर्चा के साथ-साथ कुछ लोगों के लिए आक्रोश का भी विषय है जबकि आईपीसी की धारा 377 पर पिछले 15 साल से बहस चल रही है। LGBT समुदाय इसे अपनी पहली जीत मानते हुए अन्य अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की तैयारी कर रहा है। धारा 377 'अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों' को परिभाषित करती है और ऐसे सम्बन्ध बनाने वालों को इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस धारा को उस सीमा तक समाप्त कर दिया था, जहाँ तक यह सहमति से बनाये गये ऐसे सम्बन्धों पर रोक लगाती थी। लेकिन दिसम्बर, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दोबारा इस धारा को इसके मूल स्वरूप में पहुँचा दिया। इसके बाद मुट्ठी भर LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) समुदाय द्वारा इसके खिलाफ याचिका दायर किया गया। सामान्यतया यौन अपराध तभी अपराध माने जाते हैं जब वे किसी की सहमति के बिना किये जायें। लेकिन धारा 377 की परिभाषा में कहीं भी सहमति-असहमति का जिक्र ही नहीं है। इस धारा के विवादास्पद होने का प्रमुख कारण भी यही है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी कमी के चलते इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसमें संशोधन किया था।

377 की संवैधानिकता को पहली बार 2001 में चुनौती दी गयी थी। दिल्ली की एक संस्था 'नाज फाउंडेशन', जो कि एड्स रोकथाम के लिए जागरुकता अभियान चलाती है। इस संस्था ने 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय से धारा 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी।

धारा 377 कई लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, साथ ही यह भी कहा गया कि यह धारा समलैंगिक लोगों के एक समूह को ही निशाना बना रही है। समलैंगिकता अपराध भले न हो लेकिन बीमारी तो सिद्ध की जा सकती है। आवश्यकता है इस विषय में शोध करने की और यहीं पर LGBT अधिकारों का विरोध करने वाले असफल हो जाते हैं।

न्यायालय को यह तय करना था कि क्या धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 के प्रतिकूल है या नहीं। यह फैसला करने में न्यायालय ने लगभग नौ साल का समय लिया। नाज़ फाउंडेशन ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि विधि आयोग भी अपनी 172वीं रिपोर्ट में धारा 377 को हटाने की संस्तुति कर चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसमें तत्कालीन केन्द्र सरकार से जवाब मांगा। केन्द्र की तरफ से दो विरोधाभासी जवाब दिये गये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह धारा एड्स की रोकथाम में बाधा उत्पन्न करती है लिहाजा इसे हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने इसे बनाये रखने की बात कही और तर्क दिया कि धारा 377 बच्चों पर होने वाले अपराध एवं बलात्कार सम्बन्धी कानून की कमियों को भरने का काम करती हैं, लेकिन इस तर्क में कोर्ठ बल नहीं रहा क्योंकि 2012 में अलग से 'बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012 बनाया जा चुका है। साथ ही बलात्कार की परिभाषा की जिन कमियों को धारा 377 पूरा करती थी उन कमियों को भी निर्भया मामले के बाद अब दूर किया जा चुका है। यहाँ पर केन्द्र सरकार असफल दिखायी पड़ती है और वह अपनी सभ्यता, संस्कृति, समाज और प्रकृति के अनुरूप तर्क और तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सकी, और सब कुछ न्यायालय के भरोसे छोड़ दिया। जबकि सांस्कृतिक समाज प्रतिनिधियों को चुनकर इस अपेक्षा से सरकार बनवाता है कि वह सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के साथ -साथ सांस्कृतिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। सरकार की इस कमी की ओर LGBT समुदाय के पक्ष में फैसला देने वाली न्यायिक पीठ के न्यायाधीश ने भी इस बात की ओर संकेत किया।

LGBT याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से 'सेक्स' के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता जिसमें उस व्यक्ति की यौन अभिरुचि भी शामिल है। इसलिए किसी के यौन झुकाव के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का हनन है। प्रश्न यह उठाता है कि क्या किसी व्यक्ति की यौन अभिरुचि जन्म से ही निर्धारित होती है और क्या उसे बदला जा सकता है अथवा नहीं। भविष्य में इन्हें अपने पक्ष को मजबूती से रखने के ठोस प्रमाण एकत्रित करना होगा।

याचिकाकर्ताओं का दूसरा बड़ा तर्क था कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इस अधिकार में सम्मान से जीवन जीना और गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दो वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से एकांत में जो भी करते हैं उसका उन्हें पूरा अधिकार है। इसके प्रतिउत्तर में कहा जा सकता है कि एकांत के लिए कानून की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है कानून की आवश्यकता तब होती है जब किसी अन्यहित का टकराव होता है। यदि एकांत में सहमति से कोई आतंकी गतिविधियों के लिए बम बनाएगा तो क्या वह वैधानिक होगा? आज LGBT ने आपसी सहमति की लड़ाई जीती है कल जानवरों और बच्चों के साथ भी कुकृत्य को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ठहराएँगे। अभी तक न्यायपालिका ने समलैंगिक विवाह को कानूनी नहीं घोषित किया। लेकिन समलैंगिकों ने विवाह के लिए कानूनी लड़ाई को अगला कदम बताया है। सांस्कृतिक सामाजिकों को इसी का भय था।

संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की बात भी याचिकाकर्ताओं द्वारा कही गयी। उनके अनुसार हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के पूरा कानूनी संरक्षण मिलने का अधिकार है। लेकिन समलैंगिक व्यक्ति एड्स जैसी जानलेवा बीमारी होने पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते क्योंकि धारा 377 उन्हें अपराधी घोषित कर देती हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सुविधायें लेने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इस तर्क के विरोध में प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि समलैंगिकता स्वयं में एड्स जैसी बीमारी को न्यौता देती है। लेकिन कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क को नकारते हुए माना कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी धारा 377 को एड्स की रोकथाम में एक बाधा मानता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस कानून के न रहने से समलैंगिकता का अबाध प्रसार होगा और एड्स की संभावना और बढ़ जाएगी।

दो जुलाई 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दे दिया। न्यायालय ने कहा ''हम घोषित करते हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377, जिस हद तक वह वयस्क व्यक्तियों द्वारा एकांत में सहमति से बनाये गये यौन सम्बन्धों का अपराधीकरण करती है, संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन है।'' इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस धारा के प्रावधान बिना सहमति के बनाये गये यौन सम्बन्धों पर पहले की तरह ही लागू होंगे। लेकिन क्या आपसी सहमति से किया गया अपराध भी सही हो जाएगा। आत्महत्या भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है फिर भी कानूनी अपराध है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक अंग है व्यक्तिगत क्षति भी सामाजिक हानि है।

आखिर इच्छामृत्यु के प्रत्येक मामले में न्यायालय सहमत क्यों नहीं है?

यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना, एलजीबीटी अधिकारों का समर्थन करने वाले लाखों लोगों ने फैसले का स्वागत किया। समलैंगिकों को सामाजिक स्वीकार्यता दिये जाने के लिए कई शहरों में 'गे परेड' आयोजित की गयी। एलजीबीटी समुदाय में एक बड़ा हिस्सा किन्नर लोगों का भी है। उन्होंने भी खुल कर इस फैसले का स्वागत किया और इसे समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना।

जैसा कि 377 के मामले में आये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद 11 दिसम्बर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने देश-विदेश के मनोचिकित्सकों के तर्कों और शोध को नकार दिया, एड्स पर कार्य करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट को नकार दिया, राम जेठमलानी और फली एस नरीमन जैसे वकीलों के तर्कों को नकार दिया और कानूनों में सामाजिक और सांस्कृतिक

मूल्यों के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। लेकिन इस पर कई कानूनविदों और लेस्बियन समर्थकों का कहना था कि जो फैसला न्यायालय ने दिया उसमें धारा 377 को बनाये रखने का एक भी ठोस कारण मौजूद नहीं था। यही कारण है कि स्वयं केन्द्र सरकार ने इस फैसले को कुल 76 बिन्दुओं पर चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। आश्चर्य होता है कि समान नागरिक संहिता, धारा 35-ए, लोकपाल, राममंदिर, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, तात्कालिक न्याय, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा आदि संवेदनशील और जनव्यापी विषयों पर केन्द्र सरकार इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाती? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या संवैधानिक पीठ का गठन नहीं कर सकती? विचारणीय विषय है।

भारतीय संस्कृति के पक्षधर ऐसे लाखों लोग हैं जो समलैंगिकों को इलाज की सलाह देते हैं। कई ऐसे भी हैं जिनके मन में एलजीबीटी के प्रति कई सवाल हैं। जैसे, एलजीबीटी चाहते क्या हैं? एलजीबीटी आम लोगों की तरह क्यों नहीं हैं? एलजीबीटी जन्म से ही ऐसे हैं या बाद में बने हैं? एलजीबीटी कौन हैं? ये सब शोध के विषय हैं इन्हें हेय मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। यदि ये सब समाज की विकृति या बीमारी हैं तो इनसे किस प्रकार निपटा जा सकता है? इन्हें मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जाए? इस पर विचार होना चाहिए और सरकार, कानूनविदों तथा सर्वोच्च न्यायालय, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिकता को बनाये रखें।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले का तमाम बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया था। तत्कालीन केंद्र सरकार के साथ ही मौजूदा केंद्र सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के ही फैसले को सही बताया था। यही कारण है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के गठन की बात कही तो एलजीबीटी के लाखों लोगों के साथ ही तमाम बुद्धिजीवियों ने भी इसका स्वागत किया। ऐसे बुद्धिजीवी निश्चित ही वामाचारी और नवाबी शौक वाले होंगे? इनकी एक क्षीण और कुत्सित परम्परा देश में विद्यमान रही है-----यह भी एक शोध का विषय है।

समलैंगिकता को जब वैधानिकता मिल चुकी है तो इन आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि जब अपराध संस्कृति और वैधानिकता का जामा पहन लेगा तो समाज में किस तरह के परिवर्तन होंगे? धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन सम्बन्ध को लेकर दर्ज मामलों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके बाद केरल का स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस कानून को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया था। धारा 377 के तहत 2014 से 2016 के बीच कुल 4,690 मामले दर्ज किये गये। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 में धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन सम्बन्धों के 2,195 मामले दर्ज किये गये, जबकि 2015 में 1,347 और 2014 में 1,148 मामले दर्ज किये गये। 2016 में सबसे ज्यादा 999 ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए। इसके बाद केरल (207) का स्थान था।

उपर्युक्त तथ्यों और प्रसंगों के विवेचन के पश्चात् कहा जा सकता है कि निम्नलिखित चुनौतियों का सामना समाज को करना पड़ेगा-

सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता और हिंसा में वृद्धि होगी।

एड्स के साथ अन्य यौन रोग की वृद्धि होगी।

भारतीय परिवार और दाम्पत्य जीवनका ताना-बाना बिखरेगा।

लिंग भेद की खाई और चौड़ी होगी।

इसके अतिरिक्त एलजीबीटी के कानूनी मान्यता से सम्बन्धित अन्य कई दिशाओं में भी शोध की आवश्यकता है।

सम्पादक

CONTENT

Sanskrit Literature

- **ग्रह एवं उनकी वक्रगति : एक ज्योतिषीय विश्लेषण**–*डॉ० अरविन्द उपाध्याय* **1-4**
- **पण्डित सुधाकर शुक्ल विरचित अप्रकाशित महाकाव्य गान्धि सौगन्धिकम् का महाकाव्यत्व** –*गौरव नायक* **5-8**
- **मालतीमाधवम् और मृच्छकटिकम् में मूर्तिकला सौंदर्य**–*डॉ० लवली श्रीवास्तव* **9-12**
- **डॉ० भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण में देववाणी संस्कृत से ही मानव एवं जीव-जन्तु की सेवा-सुरक्षा**–*डॉ० सिकन्दर लाल* **13-15**
- **ध्यान वृत्ति शोधन : एक सफल प्रयोग**–*रीता ढिल्लो* **16-20**

Hindi Literature

- **डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' के निबन्ध साहित्य का काव्यशास्त्रीय विश्लेषण**–*डॉ० आनन्द स्वरूप शुक्ल एवं आदित्य मिश्रा* **21-25**
- **स्त्री एवं स्त्रीवादी शिक्षा**–*सुनील कुमार यादव एवं डॉ० सूरज कुमार* **26-30**
- **स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में साम्प्रदायिकता**–*पुष्पराज सिंह* **31-33**
- **सोलह श्रृंगार परम्परा में कवि गुलाब कृत रुक्मिणी-मंगल**–*डॉ० सुनीता शर्मा* **34-43**
- **शिवमंगल सिंह 'सुमन' के काव्य में प्रकृति की संवेदना**–*डॉ० सरिता सिंह* **44-47**
- **समकालीन यात्रा साहित्य में बौद्ध धर्म**–*हेमन्त कुमार* **48-50**
- **डॉ० विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के काव्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन**–*गुलाब सिंह* **51-57**
- **हिन्दी कथा-साहित्य में अज्ञेय का स्थान**–*ममता देवी* **58-62**
- **चित्रा मुद्गल के कहानी साहित्य में स्त्री शोषण एवं संघर्ष का चित्रण**–*संदीप वर्मा* **63-66**
- **पं० विद्यानिवास मिश्र के निबन्धों की भाषा**–*डॉ० विधु मिश्रा* **67-69**
- **आचार्य विद्यासागर की कविता में नारी**–*डॉ० सुरभि जैन* **70-73**
- **भारतेन्दु युगीन पद्य साहित्य में सामाजिक समस्याओं का निरूपण**–*संजय तिवारी* **74-77**
- **पूर्णेन्दु की कविता में नारी**–*आभा सिंह* **78-80**
- **थर्डजेण्डर की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का आह्वान पोस्ट बॉक्स नं० 203 - नालासोपारा**–*डॉ० पर्वज्योत कौर* **81-84**
- **भवानी प्रसाद मिश्र : व्यक्ति और रचनाकार**–*डॉ० उषाकिरण भटनागर एवं कल्पना पटेल* **85-87**
- **हिन्दी गजल की पृष्ठभूमि**–*डॉ० लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता* **88-96**
- **निराला के साहित्य में सामाजिक चेतना**–*डॉ० ममता उपाध्याय एवं डॉ० बृजेश त्रिपाठी* **97-100**
- **सूरसागर काव्य में अप्रस्तुत योजना**–*डॉ० चेतना सिंह* **101-103**
- **कुच्ची का कानून**–*प्रमोद कुमार यादव* **104-111**

- **आधुनिक हिन्दी उपन्यासकारों के साहित्य में सूक्ति विवेचन**–*डॉ० बसन्त कुमार बंसल* **112-115**
- **एक महान भारतीय आलोचक : विचारक डॉ. रामविलाश शर्मा**–*डॉ० आनन्द स्वरूप शुक्ला एवं हरिओम शरण त्रिपाठी* **116-118**
- **व्यक्ति नाम चयन : उद्देश्य और कारण**–*डॉ० राकेश नारायण द्विवेदी* **119-125**
- **भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा : एक अवलोकन**–*अनिल कुमार सिंह* **126-127**
- **तुलसीदास की रामचरितमानस में जीवन मूल्य**–*डॉ० पिंकी पारीक* **128-131**
- **सुमित्रानन्दन पंत की काव्य-शिल्प विषयक अवधारणायें**–*प्रशान्त कुमार राय* **132-135**

History

- **पूर्व मध्यकाल में शूद्रों के सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन का अवलोकन**–*प्रमोद कुमार* **136-139**
- **प्राचीन मिथिला की शिक्षा पद्धति : एक समीक्षात्मक अध्ययन**–*कुमारी रिचा* **140-143**
- **मिथिला के दर्शन में वाचस्पति मिश्र प्रथम की रचनाओं का अवदान**–*डॉ० सुनील कुमार* **144-148**
- **बौद्ध शिक्षण केन्द्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक समालोचनात्मक अध्ययन**–*डॉ० विनोद कुमार यादव* **149-151**
- **दुर्गा सप्तशती में मन्त्र एवं तन्त्र का समन्वय**–*डॉ० विमलेश कुमार पाण्डेय* **152-155**

Education

- **प्राथमिक शिक्षा : चुनौतियाँ एवं वर्तमान परिदृश्य**–*डॉ० विनोद कुमार यादव* **156-158**
- **वर्तमान शिक्षा में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किये जानेवाले नये तकनीकी का प्रयोग एवं महत्त्व**–*अमित सिंह* **159-163**
- **माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन**–*डॉ० अखिलेश कुमार सिंह* **164-166**
- **आचार्य विनोबा भावे जी और नये मूल्यों की स्थापना**–*कुसुम देवी* **167-168**
- **न्याय दर्शन में निहित शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता**–*शैलजा राय* **169-171**
- **लिंग भेद एवं व्यक्तित्व**–*डॉ० सतीश चन्द्र द्विवेदी* **172-175**
- **गुणयुक्त शिक्षण**–*डॉ० अखिलेश कुमार* **176-177**
- **वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त नये तकनीकी आयाम**–*प्रतिभा सिंह* **178-182**
- **महिला सशक्तिकरण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में**–*दुर्गेश कुमार* **183-186**
- **सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शान्ति शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तथा उनके पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के समावेशन का अध्ययन**–*डॉ० बृजेन्द्र कुमार सिंह* **187-191**
- **एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय** –*डॉ० दिलीप कुमार अवस्थी* **192-195**
- **Implementation of Right to Education Act**–*Dr. Girja Prasad Mishra* **196-198**

Sociology

- **गोंड जनजाति में सामाजिक परिवर्तन (शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में)** –*डॉ० रचना श्रीवास्तव एवं गंगा बैरागी* **199-204**

- **गीता का समाजशास्त्रीय अध्ययन : सामाजिक क्रिया के परिपेक्ष्य में**–*डॉ० मणीन्द्र कुमार तिवारी* **205-208**
- **ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण**–*डॉ० रवीन्द्र नाथ मिश्र* **209-214**
- **Legal Issues of Suicide**–*Dr. (Smt.) Deepmala Mishra* **215-219**

Political Science

- **भारत-पाक सम्बन्ध : एक राजनीतिक विश्लेषण**–*डॉ० उपमा सिंह, अनूप कुमार तिवारी* **220-223**
- **भारतीय राजनीति के केन्द्र में आदिवासी समाज**–*डॉ० मुकेश कुमार मिश्रा* **224-227**
- **Evaluation of Indo-Nepal Relation During the Prime Ministership of Narendra Modi**–*Dr. Amarjeet Kumar Singh* **228-233**

Psychology

- **The Relationship of Job Stress and Organizational Commitment Among Public and Private Sector Employees**–*Prof. (Dr.) Anjali Srivastava, Karnika Singh Bundela* **234-240**
- **महाविद्यालयी छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन**–*प्रहलाद राम* **241-242**
- **Caste As A Determinations of An Adjustment**–*Captain Abutalha Ansari* **243-247**

Philosophy

- **भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार : मुख्य सिद्धान्त**–*डॉ० दल सिंगार सिंह* **248-252**

Economics

- **भारत में महिलाओं की भागीदारी : एक चुनौती**–*डॉ० गीता सिंह* **253-257**

Management

- **A Study On Role of HRM Practices in Cement Industry** -*Prof. Sunil Tiwari, Tripti Pandey* **258-262**

Music

- **सरस्वती देवी - मैं बन की चिड़िया बनके बन-बन बोलूँ रे**–*देवेन्द्र कुमार गुप्ता* **263-266**

Geography

- **जलवायु परिवर्तन**–*संदीप द्विवेदी* **267-269**

Biology

- **वनौषधियों का शस्य समन्वय**–*डॉ० अजय कुमार* **270-271**

English Literature

- **Ngugi's Concern To Decolonize The Minds** -*Dr. Anita Kaushal* **272-276**

*****